सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 350/17 **निर्णय दिनांकः– 18.05.2018**

1. रेवन्त सिंह पुत्र भैरूसिंह जाति राजपूत निवासी लालांवाली तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. चन्द्रभान पुत्र बीरबलराम जाति जाट निवासी शेरपुरा तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, छत्तरगढ़।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 31–01–2017
उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़

उपस्थितः–

1. श्री धीरेन्द्र सिंह भदौरिया, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ के आदेश दिनांक 31–01–2017 जिसके द्वारा अपीलांट को बिना सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिये आवंटन प्रक्रिया व नियमों के विरूद्व जाकर आदेश जैर अपील पारित किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न. प. क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट ने वादगत् भूमि 4 केपीएम हाल चक 6 केपीएम के मुरब्बा नम्बर 86/20 के किला नम्बर 1 ता 25 में तादादी 25 बीघा

कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि के आवटन हेतु वर्ष 1999 में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की प्रथम वरियता होते हुए भी अपीलांट को आवेदन पत्र पर कोई गौर किये बिना ही तथा अपीलांट का प्रार्थना पत्र पैण्डिग रखते हुए वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को विकल्प के रूप में आवंटित करने में भारी कानूनी भूल की है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया किया आदेश जैर अपील मनमाने ढंग से स्वेच्छाचारी तरीके से पारित किया गया है। जो आवंटन नियमों के बिल्कुल विपरीत है। विशेष आवंटन के प्रार्थना पत्रों को आवंटन सलाहकार समिति में रखा जाकर पात्रता व वरियता निर्धारित करते हुए आवंटन किया जाना होता है। वादगत् भूमि पर मात्र अपीलांट का भी प्रार्थना पत्र था ऐसी स्थिति में वादगत् भूमि के आवंटन की अपीलांट की प्रथम वरियता बनती है। जिसे अनदेखा कर अदालत मातहत द्वारा आराजी जैर अनआवेदित बताकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुॅचाने की नियत से अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है।

अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। आदेश जैर अपील एकतरफा तौर पर अपीलांट को बिना सुने पारित किया गया है जो विधि विरूद्व होने से काबिल खारिज है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

मियांद के संबंध में अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को बिना सुने पारित किया गया है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट के प्रार्थना पत्र पर वर्ष 2007 में चक 1 केपीएम के मुरब्बा नम्बर 128/36 की 25 बीघा अनकमाण्ड भूमि विशेष आवंटन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था। चूंकि उक्त आवंदित भूमि अन्य को आवंटित होने के कारण आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं होने पर रेस्पोडेन्ट द्वारा चक 6 केपीएम के मुरब्बा नम्बर 86/20 की 25 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि विकल्प में आवांटन किये जाने हेतु निवेदन करने पर अदालत मातहत द्वारा विकल्प में इगानप क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम 1975 के नियम 13(ए)(5)(4) के द्वितीय परन्तुक के अध्यधीन अन्य प्रस्तावित भूमि चक 6 केपीएम के मुरब्बा नम्बर 86/20 की 25 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि इस आधार पर आवंटित की गई कि आराजी जैर रकबाराज दर्ज रिकार्ड व निर्विवाद उपलब्ध है एवं इस हेतु अन्य किसी आवेदक का आवेदन लम्बित नहीं है। अतः आवंटन का पात्र धोषित किया जाता है।

अदालत मातहत द्वारा आवंटन आदेश की पालना में आवंटन पत्र जारी किया जा चुका है व रेस्पोडेन्ट द्वारा आवंटित राशि जमा करवाई जा चुकी है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का आराजी जैर पर कोई हक व हकूक नहीं बनता है। केवल मात्र एक प्रार्थना पत्र जोकि वर्ष 1999 में प्रस्तुत किया गया था, के आधार पर अपीलांट आवंटन का पात्र नहीं माना जा सकता। अदालत मातहत द्वारा पूर्ण विधिक प्रक्रिया को अपनाये जाने के उपरान्त ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आराजी जैर का आवंटन किया गया ह। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर रेस्पोडेन्ट का आवंटन बहाल रखा जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (अ) हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 31—01—2017 के विरूद्व अपील 26—09—2017 को प्रस्तुत की गई है।

चूंकि आदेश जैर अपील एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया है। इसलिए अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार की जाती है।

(ब) जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आराजी जैर के आवंटन हेतु अपीलांट द्वारा वर्ष 1999 में आवेदन पत्र प्रस्तुत रखा था तथा धरोहर राशि स्वरूप 500 जरिये जी.ए. 55 जमा करवाये गये थे। अतः यह तथ्य स्वीकार योग्य है कि अपीलांट द्वारा आराजी जैर के आवंटन हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से पूर्व ही आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखा था।

(स) अदालत मातहत द्वार आवंटन आदेश पारित करते समय आवंटन आदेश में अंकित किया है कि आराजी जैर चक 6 केपीएम के मुरब्बा नम्बर 86/20 की 25 बीघा भूमि हेतु अन्य किसी आवेदक का आवेदन लम्बित नहीं है, जो विरोधाभासी है। चूंकि इसी चक 6 केपीएम के मुरब्बा नम्बर 86/20 के आवंटन हेतु एक अन्य आवेदक उदाराम पुत्र आदूराम द्वारा भी आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रखा था। जिसके द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी। न्यायालय हाजा द्वारा उक्त अपील आशिंक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया गया है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत का यह कथन कि वादगत् भूमि के आवंटन हेतु अन्य किसी का आवेदन पत्र जैरकार नहीं है स्वीकार योग्य कथन नहीं है।

(द) अदालत मातहत द्वारा आवंटन आदेश जारी करने से पूर्व इस तथ्य पर कतई गौर नहीं किया गया है कि उक्त आराजी के आवंटन हेतु पूर्व में ही अन्य आवेदकों द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रखा है। जब आराजी जैर हेतु अपीलांट व अन्य आवेदकों का आवेदन लम्बित चल रहा था तो ऐसी स्थिति में आराजी जैर के आवंटन से पूर्व अपीलांट

व अन्य आवेदकों को सुनवाई, साक्ष्य व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए आदेश पारित किया जाना चाहिए था। अदालत मातहत द्वारा इन तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जो काबिल निरस्त होने से खारिज किया जाता है।

7. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 31—01—2017 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट को सुनवाई व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

8. निर्णय आज दिनांक 18.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर